अति आवश्यक
रजिस्टर्ड/ई–मेल

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : राम/प–1/1/68/वि/स्था/10/10257-10316 दिनांकः– 18.08.2023

संभागीय आयुक्त समस्त।
जिला कलक्टर समस्त।

विषयः– राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के एक रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत्।
प्रसंगः– राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक प.5(1)राज. 1/1995/पार्ट/III दिनांक 16.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र क्रमांक प.5(1)राज.1/1995/पार्ट/III दिनांक 16.08.2023, विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंग्न प्रेषित है।
सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीया

अति0 निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकःसम/10317-21 दिनांकः– 18.08.2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को उक्तानुसार सलंग्न प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष, राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
2. अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन, अजमेर
3. सहायक निदेशक (राविरा), राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को समाचार पत्रों में प्रसारार्थ। → ACP (DD)
4. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सूचना पट्ट, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

अति0 निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

Document certified by Priya Bhargava <bhargavpriya55@gm...com>.
Digitally Signed by Priya Bhargava
Designation : Additional Registrar
Date :18-08-2023 05:01:53

RajKaj Ref No. : 4537654

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 5(1)राज-1/1995/पार्ट/III जयपुर, दिनांक : 16-08-2023

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

विषयः– राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के एक रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के रिक्त पद को राजस्थान भू–राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा–शर्तें) नियम, 1971 की शर्तों के अनुसार भरने के लिए पात्र अधिवक्ता से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अधिवक्ता पात्र है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हेतु अर्हता प्राप्त है तथा जिनकी 1 जनवरी, 2023 को आयु 54 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। ऐसे पात्र अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक **16-08-2023** की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्रकरण में निम्नांकित कार्यवाही करावें :–

1. विज्ञप्ति की प्रति आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा जिला मुख्यालय पर स्थित राजस्व न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
2. विज्ञप्ति की प्रति जिला बार एसोसियेशन के अध्यक्ष को सुपुर्द करावें तथा पावती प्राप्त करें।
3. अन्य उपयुक्त माध्यमों से भी विज्ञप्ति का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करावें ताकि अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो सके।

इच्छुक अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र को भरकर आपके कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेगें। अतः आवेदन पत्रों की प्राप्ति हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व आवेदन पत्र में वर्णित सभी दस्तावेजात संलग्न होने की जांच कर ली जावें। आपके कार्यालय को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर तैयार करवाया जावें जिसका प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। आवेदन पत्रों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि **31-08-2023** को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्व करते हुये विशेष वाहक के साथ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(बाल मुकुन्द असावा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग
3. समस्त संभागीय आयुक्त ,राजस्थान
4. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान
5. अध्यक्ष बार एसोसियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर

संयुक्त शासन सचिव

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का रजिस्टर

क्र. सं.	आवेदक अधिवक्ता का नाम एवं पिता का नाम	आवेदक का पूर्ण वर्तमान पता	आवेदक का मोबाईल नं. एवं ई–मेल	आवेदन–पत्र प्राप्ति की दिनांक एवं समय
1				
2				
3				
4				
5				

Affix recent photo here

size 3.5 X 3.5

APPLICATION FORM

FOR RECRUITMENT ON THE POSTS OF MEMBER BOARD OF REVENUE RAJASTHAN, AJMER

(To be filled up by the candidate in his own handwriting in accordance with the "Instructions" enclosed)

Candidates are warned that any inaccuracy in the information furnished will lead to disqualification. The instruction sheets enclosed de this application form should be read carefully before filling up the application form."

1.	*Full Name of the applicant* (In English) (Write in BLOCK LETTERS)	
(i)	Full Name of the applicant (In Hindi)	
(ii)	Sex	
(iii)	Full Name of the applicant's Father	
2.	Present Postal Address, for correspondence (With District, State and PIN Code)	
(i)	Mobile Number	
(ii)	Landline if any (with STD code)	
(iii)	E-mail ID	
3.	Permanent Residential Address (With District, State and PIN Code)	
4.	Names of the places where you have been practicing in the preceding Seven years	
5.	Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As mentioned in matriculation/high school/ equivalent certificate) Proof furnished (Annexure No.)	
6.	Nationality	
7.	Birth Place (mention the town, district and State)	
8.	Have you ever been convicted for an offence involving moral turpitude or any such offence, which in the opinion of the Recruiting Authority may render you unsuitable for appointment in judicial service; or have you ever been debarred or disqualified by any High court or Public Service Commission of Union/State from appearing in any examination or interview.	

9.	Academic Qualification			
S.No.	Name of Examination	Year	Marks obtained (%)	Name of the Board/University
1	Secondary or equivalent			
2	Hr./Sr. Secondary or equivalent			
3	Graduation			
4	Post Graduation			
5	L. L. B.			
6	L. L. M.			
7	Other Academic Qualification (If any)			

10. If you have been employed before, give particulars below :-

Name of the Post or nature of employment	Name of employer	*Date of Joining*	*Date of leaving* with reasons	*Salary* (Pay Scale, if any)	*Proof furnished* (Annexure No.)

11. Have you ever been dismissed or removed from service by any High Court Or Government Or statutory body Or Local Authority ?

(Yes/No) if Yes, give details ....

12.	Give the following particulars :-	
(i) (a)	Date of enrollment as an Advocate Name of the Bar Council : Proof furnished (Annexure No.)	Enrollment Number .... Date ....
(i) (b)	Standing as an Advocate on the last date fixed for receipt of application.	..........Year .... Month .... Days
(ii)	Period during which you practiced regularly and continuously and names of the courts and districts in which you practiced	
(iii)	Did you pay income tax on your professional Income? If so, the amount on which Income-tax was paid for the assessment year's 2022-23 to 2023-24 should be stated. The copies of assessment orders for each year should be annexed.	
(iv) (a)	Have you ever been found quality for professional misconduct or contempt of Court and if your license to practice has ever been suspended? If so, give particulars and also enclose the certified copy of order/judgment passed in the proceeding by the State Bar Council/Bar Council of India/High Court and Supreme Court of India, if any.	
(iv) (b)	Were you ever figured as an accused in a criminal case? If so, give particulars.	

Declaration

Verified on this ....day of ....2023 at........... That all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.

Place ....
Date ....

Full signature of Candidate (with Name)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 5(1)राज-1/1995/पार्ट/III

जयपुर, दिनांक : 16-08-2023

-: विज्ञप्ति :-

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के रिक्त एक पद को राजस्थान भू-राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा-शर्ते) नियम, 1971 की शर्तों के अनुसार भरने के लिये पात्र अधिवक्ताओं से संलग्न प्रारूप में विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अधिवक्ता निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के कार्यालय में अपना आवेदन-पत्र दिनांक **31-08-2023** को सायं **5:00** बजे तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते है।

आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की वेबसाईट **https://landrevenue.rajasthan.gov.in/bor/#** से डाउनलोड किये जा सकते है।

राजस्व मण्डल में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अधिवक्ता पात्र है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त है एवं नियुक्ति होने के वर्ष की 1 जनवरी को, अर्थात 1 जनवरी, 2023 को 54 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है। आवेदनकर्ताओं में से नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान भू-राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा-शर्ते) नियम, 1971 के अधीन होगी।

16/8

संयुक्त शासन सचिव